भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1098

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों को आपस में जोड़ना

1098. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 'विशेषकर बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी पूर्व की योजनाओं में कोई कमी सूचित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि एक ओर उत्तरी बिहार क्षेत्र प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से तबाह हो जाता है और दूसरी ओर दक्षिणी बिहार क्षेत्र में सूखा पड़ता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नदियों को आपस में जोड़ने में विलंब के कारण होने वाली तबाही को रोकने की दिशा में अब तक क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) क्या बिहार को ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से नदियों में प्रति वर्ष अतिरिक्त पानी छोडे जाने के कारण बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतरबेसिन अंतरण के माध्यम से जल संसाधन विकसित करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिपे्रक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। एनपीपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी 30 परियोजनाओं (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। एनपीपी के अंतर्गत, अभिज्ञात 30 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी 30 परियोजनाओं में से सभी 30 परियोजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई

हैं, जबकि 24 परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें और 11 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) पूरी कर ली गई हैं। एनपीपी के अंतर्गत, 6 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य को लाभान्वित करती हैं, जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग) से (छ): नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी किसी भी परियोजना की आयोजना में संबंधित राज्यों के परामर्श से अध्ययन के प्रत्येक चरण में उत्तरोत्तर सुधार और संशोधन किया जाता है। हॉलकि, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी किसी परियोजना का कार्यान्वयन चरण तक पहुंचने में पक्षकार राज्यों के बीच सर्वसम्मति बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।

भारत सरकार, परामर्शी ढंग से नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम चला रही है और इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगठित प्रयास किए गए हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितम्बर, 2014 में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस विशेष समिति की अब तक 21 बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए अप्रेल, 2015 में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक कार्यबल का गठन भी किया गया है और इस कार्यबल की अब तक 18 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन पक्षकार राज्यों की सर्वसम्मति बनने पर निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य अपने उत्तरी क्षेत्र के 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। मुख्य रूप से, बिहार के उत्तरी भाग के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, जो मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है। बिहार का दक्षिणी हिस्सा बाढ़ के साथ-साथ सूखे की समस्या का भी सामना कर रहा है। बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए 3800 किलोमीटर लंबे बाढ़ सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया गया है।

अनुलग्नक-I

" नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बिहार राज्य को लाभान्वित करने वाली नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	राज्यों/देशों को हुआ फायदा	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मिलियन क्यूबिक मीटर)	हाइड्रो पावर (मेगावाट)	ओहदा
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	4.74 (2.99+1.75)	24	3180	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा संपर्क	बिहार, उत्तर प्रदेश (यूपी) और नेपाल	8.35 (6.05+1.20 +1.10)	0	--	एफआर पूर्ण
3.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और यूपी	0.67 (0.13 + 0.54)	--	--	पीएफआर पूर्ण
4.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	3.07 (2.39 + 0.68)	360	95 (90 बांध पीएच) और 5 (नहर पीएच)	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को निरसा कर दिया गया है)
5.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (डब्यूबी) और बिहार	3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36)	--	--	
6.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02)	265	360	एफआर पूरा किया

अनुलगनक-II

"नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	एफआर पूर्ण

	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुददुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिस्सू लिंक (यूएस प्रति डीपीआर)	महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति)	डीपीआर पूर्ण
12	पार-लेकिन-नर्मदा लिंक (डीपीआर के अनुसार)	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

हिमालयन घटक

क्र.सं.	लिंक का नाम	देश/लाभान्वित राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	पीएफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	पीएफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

****